न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. राजविन्द्र कौर पत्नी श्री हरजिन्द्र सिहं जाति कम्बोसिख निवासी चक 15 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थीया.....

बनाम

1. सतनाम सिंह पुत्र श्री रूडाराम जाति बावरी निवासी चक 14 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।

.....अप्रार्थीगण.....

उपस्थिति - 1. श्री नवीन कुमार मिढ्ढा वकील प्रार्थी
2. चन्द्रप्रकाश मेहरड़ा वकील अप्रार्थीगण
3. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 11/2022

निर्णय दिनांक -30.03.2022

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि चक 14 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 149/402 मु.नं. 20 का किला नं. 10 का 0.253 है., किला नं. 11 का 0.253 है., किला नं. 20 का 0.253 है., किला नं. 21 का 0.253 है., किला नं. 22/1 का 0.0880 है. इस प्रकार कुल 1.1000 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है। इसी चक 14 जी.बी. का प.नं. 149/402 मु.नं. 20 का किला नं. 1/2 का 0.1450 है., इस प्रकार कुल 0.1450 हैक्टर नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया के नाम से प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में दर्ज उक्त मुरब्बा के किलाजात की कृषि भूमि में काश्त हेतु आने-जाने और कृषि उपज को लाने ले जाने के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। जिस कारण से प्रार्थीया को अपने उक्त किलाजात की कृषि भूमि में आने-जाने, काश्त करने, कृषि उपज वा उपकरण परिवहन करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ यह अंकित कर देना उचित होगा कि उपरोक्त पत्थर नम्बर 149/402 मु.नं. 20 के किलाजात नं. 1 ता 5 के चिपते हुए उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चक 14 जी.बी. को आने जाने वाली मुख्य सड़क है। आज से दो रोज पूर्व प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 सतनाम

लगातार.....2

Scanned with CamScanner

सिंह से सम्पर्क कर उसे आग्रह किया कि वह मुरब्बा नं. 20 पत्थर नं. 149/402 में मुख्य सड़क के साथ चिपते हुए स्थित अपने किलाजात नं. 1/2 में से दो बिस्वा भूमि यानि करीबन 16 फीट चौडाई में एवं 165 फीट लम्बाई में एक रास्ता प्रार्थीया को अपने किलाजात की कृषि भूमि में काश्त करने के लिए आने जाने एवं कृषि उपज वा उपकरण के परिवहन हेतु स्वीकृत करवाने में मनू प्रार्थीया का सहयोग करे ताकि प्रार्थीया इस उक्त वांछित रास्ता को स्वीकृत करवाकर उसका उपयोग कर पत्थर नम्बर 149/402 मुरब्बा नं. 20 में स्थित अपने किलाजात संख्या 10 की भूमि में प्रवेश कर सके तो वह ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया बस यही बिनाए मुखास्मत एवं बिनाए दावा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्राप्त है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या 1 में दर्ज अपनी उक्त कृषि भूमि वाके चक 14 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर के मुरब्बा नं. 20 पत्थर नं. 149/402 के किला नं. 10-11-20-21-22/1 की कृषि भूमि को काश्त करने के लिए आने जाने एवं कृषि उपज वा उपकरण के परिवहन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज इसी चक के उपरोक्त मुरब्बा नं. 20 पत्थर नं. 149/402 के किला नं. 1/2 में से दो बिस्वा भूमि यानि 16 फीट चौडाई में एवं 165 फीट लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहती है। उक्त वांछित रास्ता प्रार्थीया की भूमि में आने जाने के लिए लघुतम, सुगम एवं सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थीया को उक्त रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योकि प्रार्थीया को अपनी उपरोक्त कृषि भूमि में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता का अभाव है। वांछित रास्ता की भूमि बाबत न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली राशि को प्रार्थीया अदा करने को तैयार है। आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके चक 14 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नं. 20 पत्थर नं. 149/402 के किला नं. 1/2 में से दो बिस्वा भूमि यानि 16 फीट चौडाई में एवं 165 फीट लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जावे ताकि प्रार्थीया अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज उपरोक्त कृषि भूमि के किलाजात संख्या 10 में प्रवेश कर अपनी कृषि भूमि को काश्त कर सके एवं कृषि उपज वा उपकरण परिवहन कर सके तथा उपरोक्त स्वीकृत शुदा रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को दिये जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषिभूमि के किला नं. 1/2 में से प्रार्थीया को रास्ता हेतु दो बिस्वा भूमि यानि 16 फीट चौडाई में एवं 165 फीट लम्बाई में भूमि देने को तैयार है। जिस बाबत मनू अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थीया से नगद राशि भी प्राप्त कर ली है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वांछित रास्ता माननीय न्यायालय के द्वारा मनू अप्रार्थी के रकबा में से स्वीकृत फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत शुदा रास्ता का अंकन किया जाता है तो मनू अप्रार्थी खातेदार को कोई उज्र एतराज नहीं होगा। उपरोक्त रास्ता किला नं. 1/1 की भूमि की हद (सीमा) समाप्त होने के उपरान्त अप्रार्थी के किला नं. 1/2 की भूमि की हद (सीमा) शुरू होन वाली जगह पर उतर से दक्षिण दिशा की ओर से स्वीकृत किया जावे। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ने आपसी राजीनामा होना जाहिर करते हुए राजीनामा की प्रति प्रस्तुत की। राजीनामा संलग्न पत्रावली किया गया। अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं।

लगातार.....3

Scanned with CamScanner

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन करने एवं राजीनामा का अवलोकन करने के उपरान्त पाया कि प्रार्थीया के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है एवं प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता चक 14 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नं. 20 पत्थर नं. 149/402 के किला नं. 1/2 में से दो बिस्वा भूमि यानि 16 फीट चौडाई में एवं 165 फीट लम्बाई में रास्ता सबसे छोटा एवं सुगम रास्ता है जो आगे स्वीकृत शुदा रास्ता से जाकर मिलता है। इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर चक 14 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर का मुरब्बा नं. 20 पत्थर नं. 149/402 के किलां नं. 1/2 में से दो बिस्वा भूमि यानि 16 फीट चौडाई में एवं 165 फीट लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते में आई भूमि के बदले में प्रार्थीया भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की दोगुणा राशि अप्रार्थी संख्या 1 को देगी। तहसीलदार श्री विजयनगर को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि की भली भांति पैमाइश की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अंकन करे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner